**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 908**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**सरकारी अस्पतालों की अवसंरचना का कोटि उन्नयन करना**

**908. श्री दर्शन सिंह यादवः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के भार से निपटने के लिए तथा चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार देश में सरकारी अस्पतालों की वर्तमान अवसंरचना के पुनर्निर्माण और विस्तार का प्रस्ताव करती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और पराचिकित्सीय कर्मचारियों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में नहीं है; और

(ग) यदि हां; तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उएाए गए हैं कि सरकारी अस्पतालों में रोगियों को यथासंभव बेहतरीन उपचार मिले?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्‍यमंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) से (ग): स्‍वास्‍थ्‍य राज्‍य का विषय है इसलिए ऐसी कोई सूचना केन्‍द्रीय स्‍तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को अपनी स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्‍तीय सहायता दी जाती है। इसमें लोक स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा केन्‍द्रों की स्‍थापना/उन्‍नयन भी शामिल है जो राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के कार्यक्रम कार्यान्‍वयन योजनाओं (पीआईपी) में दर्शायी गई अपेक्षाओं पर आधारित होता है। जहां तक दिल्‍ली में केन्‍द्र सरकार के तीन अस्‍पतालों का संबध हैं अर्थात् सफदरजंग अस्‍पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्‍पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज व इससे सम्‍बद्ध अस्‍पतालों में, लोगों की आवश्‍यकताओं के लिए पर्याप्‍त संख्‍या में डॉक्‍टर व परा-चिकित्‍सा स्‍टॉफ उपलब्‍ध हैं। इन अस्‍पतालों में बेहतरीन इलाज उपलब्‍ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता हैं । तथापि, इन अस्‍पतालों की अवसंरचना का उन्‍नयन एक निरंतर प्रक्रिया है जो अपेक्षाओं के अनुरूप व उपलब्‍ध संसाधनों पर आधारित रहती है।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*